


फर्द अहकॉम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा मुकाम सेड़वा
दीपाराम बनाम उमेदी वगैरा

किस्म मुकदमा-राजस्व वाद

मुकदमा नम्बर-65/2025

तारीख हुक्म	हुक्मकारवाई मय इनिशियलजज	नम्बर व तारीख अहकॉम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.05.2025	<p>वादी के अधिवक्ता श्री मोहनलाल खिलेरी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश किया है, जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण जरिए सम्मन/नोटिस तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब आईन्दा दिनांक 20.06.2025 को पेश हो।</p>	
20/06/25	<p>पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी निगल कर्णों में व्यस्त है, मिसल इत्तबा होकर पत्रावली पूर्व आवेशिकानुसार आईन्दा दिनांक <u>29/07/25</u> को पेश हो।</p>	
21/07/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। वादी स्वयं उपस्थित। वादी वकील ने पार्थना पत्र वास्ते वाद विद्दी करने वास्ते पत्रावली पेशी पर लेने वास्ते पेश कर निवेदन किया कि उक्त अनवान को प्रकरण अहकॉम टम्न में विचारणीय है। जिसकी भाणामी पेशी तारीख 20/07/25 मुकर है। उक्त प्रकरण में वादी व प्रतिवादीगण के बीच शर्जीनामा हो गया है, इसलिए अज पेशी पर लिया जाना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि उक्त पत्रावली को पेशी पर लेकर उक्त अनवान के पार्थना पत्र पर सुनवाई करने का आदेश फरमावे। वादी के निवेदन पर पत्रावली अज पेशी तारीख पर ली गई।</p> <p>वादी वकील ने पार्थना पत्र वास्ते वाद विद्दी करने वास्ते पत्रावली पेश कर निवेदन किया कि उक्त अनवान के प्रकरण में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य लगे अहकॉम की भावना से उचित होकर शर्जीनामा</p>	



हुकम कार्रवाई मय इनिशियल जज

तारीख
हुकम

नाम
अहकाम
हुकम की तारीख
में जारी हुए

हो गया है। इसलिए निर्देश है कि
उक्त भनवान के प्रकरण की फावली जरिए
शर्हीनामा बिली करवाई जावे। वादी के
प्रार्थना पत्र को न्यायस्थल में स्वीकार
किया जाकर उक्त भनवान के प्रकरण को
जरिए शर्हीनामा बिली किया जाता है। फावली
कैसल नुमार होकर हार्थिल हफतर हो।

X